भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 3193**

दिनांक 22 मार्च, 2018 को उत्‍तर के लिए

**लैंगिक उत्पीड़न के शिकार**

**3193. श्री पी॰ एल॰ पुनियाः**

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत दो वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान देश में लैंगिक उत्पीड़न की शिकार महिलाओं और बच्चों का उत्तर प्रदेश सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने लैंगिक उत्पीड़न के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए कोई सकारात्मक कदम उठाया है या कोई कार्रवाई करने का प्रस्ताव किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

**उत्‍तर**

श्रीमती मेनका संजय गांधी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में मंत्री

(क) : राष्‍ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्‍यूरो के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2015 में कुल 34,651 और वर्ष 2016 में 38,947 मामले बलात्‍कार (भा.दं.सं. की धारा 376) के अंतर्गत दर्ज किए गए । वर्ष 2015 और 2016 में क्रमश: कुल 8,685 और 7,305 मामले महिलाओं के शील भंग (भा.दं.सं. की धारा 509) के अंतर्गत दर्ज किए गए । इसके अतिरिक्‍त, वर्ष 2015 और 2016 में क्रमश: कुल 82,422 और 81,346 मामले महिलाओं के शील के अपमान के इरादे से उन पर प्रहार (भा.दं.सं. की धारा 354) के अंतर्गत दर्ज किए गए । ब्‍यौरा **अनुलग्‍नक-।** में दिया गया है । इसी प्रकार, यौन उत्‍पीड़न से बच्‍चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत वर्ष 2015 और 2016 में क्रमश: कुल 34,357 मामले और 36,022 मामले बच्‍चों के यौन उत्‍पीड़न/हिंसा के संबंध में दर्ज किए गए । ब्‍यौरा **अनुलग्‍नक-।।** में दिया गया है ।

(ख) और (ग) : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय यौन उत्‍पीड़न की शिकार महिलाओं सहित कठिन परिस्‍थितियों में जीवन-यापन करने वाली महिलाओं को राहत और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए स्‍वाधार गृह स्‍कीम चला रहा है । इसी प्रकार, यौन उत्‍पीड़ित बच्‍चों सहित कठिन परिस्‍थितियों में रहने वाले बच्‍चों की देखरेख, संरक्षण, पुनर्वास और परिवार में वापसी के लिए समेकित बाल संरक्षण स्‍कीम (आईसीपीएस) नामक एक केंद्रीय प्रायोजित स्‍कीम क्रियान्‍वित की जा रही है ।

\*\*\*\*\*

अनुलग्‍नक-I

**'लैंगिक उत्पीड़न के शिकार' विषय पर श्री पी॰ एल॰ पुनिया द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2018 को पूछे जाने वाले राज्‍य सभा अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 3193 के उत्‍तर के भाग (क) में संदर्भित अनुलग्‍नक**

**वर्ष 2015-16 के दौरान बलात्‍कार, महिला के शील के अपमान के इरादे से उस पर प्रहार तथा महिला के शील भंग के अंतर्गत दर्ज मामलों का राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र-वार ब्‍यौरा**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र का नाम**  | **बलात्‍कार** | **महिला के शील के अपमान के इरादे से प्रहार (भा.दं.सं. की धारा 354)** | **महिला का शील भंग (भा.दं.सं. की धारा 509)** |
| **2015** | **2016** | **2015** | **2016** | **2015** | **2016** |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 1027 | 994 | 4616 | 4829 | 2200 | 1831 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 71 | 92 | 101 | 109 | 2 | 10 |
| 3 | असम | 1733 | 1779 | 4293 | 3378 | 111 | 34 |
| 4 | बिहार | 1041 | 1008 | 198 | 324 | 96 | 167 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 1560 | 1626 | 1868 | 1770 | 53 | 101 |
| 6 | गोवा | 86 | 61 | 150 | 143 | 34 | 32 |
| 7 | गुजरात | 503 | 982 | 1164 | 1224 | 73 | 59 |
| 8 | हरियाणा | 1070 | 1187 | 1886 | 1860 | 90 | 124 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 244 | 252 | 434 | 410 | 58 | 49 |
| 10 | जम्मू और कश्मीर | 296 | 256 | 1343 | 1235 | 175 | 153 |
| 11 | झारखंड | 1053 | 1109 | 844 | 667 | 10 | 13 |
| 12 | कर्नाटक | 589 | 1655 | 5112 | 5260 | 154 | 160 |
| 13 | केरल | 1256 | 1656 | 3987 | 4029 | 267 | 328 |
| 14 | मध्य प्रदेश | 4391 | 4882 | 8049 | 8717 | 390 | 358 |
| 15 | महाराष्ट्र | 4144 | 4189 | 11713 | 11396 | 1119 | 924 |
| 16 | मणिपुर | 46 | 55 | 84 | 65 | 2 | 5 |
| 17 | मेघालय | 93 | 190 | 95 | 68 | 20 | 17 |
| 18 | मिजोरम | 58 | 23 | 75 | 71 | 2 | 1 |
| 19 | नागालैंड | 35 | 26 | 8 | 14 | 9 | 8 |
| 20 | ओडिशा | 2251 | 1983 | 6499 | 8252 | 472 | 437 |
| 21 | पंजाब | 886 | 838 | 1123 | 1025 | 27 | 10 |
| 22 | राजस्थान | 3644 | 3656 | 4813 | 4839 | 9 | 15 |
| 23 | सिक्किम | 5 | 92 | 21 | 34 | 2 | 11 |
| 24 | तमिलनाडु | 421 | 319 | 1163 | 854 | 20 | 27 |
| 25 | तेलंगाना | 1105 | 1278 | 3608 | 377 | 1288 | 1003 |
| 26 | त्रिपुरा | 213 | 207 | 352 | 214 | 6 | 1 |
| 27 | उत्तर प्रदेश | 3025 | 4816 | 7885 | 11335 | 11 | 35 |
| 28 | उत्तराखंड | 283 | 336 | 318 | 334 | 12 | 3 |
| 29 | पश्चिम बंगाल | 1199 | 1110 | 5069 | 4177 | 455 | 449 |
| 30 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 36 | 30 | 57 | 46 | 5 | 2 |
| 31 | चंडीगढ़ | 72 | 68 | 76 | 76 | 10 | 13 |
| 32 | दादर और नगर हवेली | 8 | 14 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | दमन और दीव | 5 | 12 | 7 | 4 | 0 | 2 |
| 34 | दिल्ली | 2199 | 2155 | 5367 | 4165 | 1492 | 918 |
| 35 | लक्षद्वीप | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 36 | पुद्दुचेरी | 3 | 6 | 33 | 43 | 10 | 3 |
|  | **कुल** | **34651** | **38947** | **82422** | **81346** | **8685** | **7305** |

अनुलग्‍नक-**II**

**'लैंगिक उत्पीड़न के शिकार' विषय पर श्री पी॰ एल॰ पुनिया द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2018 को पूछे जाने वाले राज्‍य सभा अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 3193 के उत्‍तर के भाग (क) में संदर्भित अनुलग्‍नक**

**वर्ष 2015-16 के दौरान बच्‍चों के साथ अपराधों के लिए भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के साथ पठित बच्‍चों का यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत दर्ज मामलों का राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र-वार ब्‍यौरा**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| क्र.सं. | राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र का नाम | **2015** | **2016** |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 1054 | 830 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 54 | 59 |
| 3 | असम | 819 | 821 |
| 4 | बिहार | 187 | 233 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 1656 | 1570 |
| 6 | गोवा | 79 | 75 |
| 7 | गुजरात | 1609 | 1408 |
| 8 | हरियाणा | 988 | 1020 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 206 | 205 |
| 10 | जम्मू और कश्मीर | 30 | 25 |
| 11 | झारखंड | 182 | 348 |
| 12 | कर्नाटक | 1526 | 1565 |
| 13 | केरल | 1486 | 1848 |
| 14 | मध्य प्रदेश | 4624 | 4717 |
| 15 | महाराष्ट्र | 4816 | 4815 |
| 16 | मणिपुर | 43 | 43 |
| 17 | मेघालय | 167 | 151 |
| 18 | मिजोरम | 169 | 167 |
| 19 | नागालैंड | 15 | 27 |
| 20 | ओडिशा | 1372 | 1928 |
| 21 | पंजाब | 666 | 596 |
| 22 | राजस्थान | 1311 | 1479 |
| 23 | सिक्किम | 55 | 92 |
| 24 | तमिलनाडु | 1544 | 1583 |
| 25 | तेलंगाना | 1394 | 1158 |
| 26 | त्रिपुरा | 133 | 156 |
| 27 | उत्तर प्रदेश | 4541 | 4954 |
| 28 | उत्तराखंड | 168 | 218 |
| 29 | पश्चिम बंगाल | 1504 | 2132 |
| 30 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 9 | 9 |
| 31 | चंडीगढ़ | 62 | 1 |
| 32 | दादर और नगर हवेली | 15 | 1 |
| 33 | दमन और दीव | 5 | 0 |
| 34 | राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली | 1936 | 620 |
| 35 | लक्षद्वीप | 1 | 5 |
| 36 | पुद्दुचेरी | 49 | 3 |
|  | **कुल** | **34475** | **36022** |

**\*\*\*\*\***